राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

एफ.3(ग)(1)अलेसे–।।/ बी55/ 885 दिनांक :– 18/5/2020

कार्यालय आदेश

निदेशालय के आदेश सख्या 192 दिनांक 20.09.20219 के द्वारा श्री भभूताराम, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–।। (लिंक नं. 6139) का स्थानान्तरण बाल विकास परियोजना अधिकारी, सम, मुख्यालय जैसलमेर से कार्यालय अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड–द्वितीय, जैसलमेर में रिक्त पद मानते हुए किया गया था, जिसकी अनुपालना में श्री भभूताराम द्वारा दिनांक 23.10.2019 को कार्यग्रहण कर लिया गया था। निदेशालय के अन्य आदेश कमांक 130 दिनांक 30.03.2019 के द्वारा वहॉ पदस्थापित स.ले.अ. ग्रेड–।। श्री चतर सिंह राजपुरोहित का स्थानान्तरण कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय में किया गया था, लेकिन श्री राजपुरोहित द्वारा मा. राज. सिविल सेवा अपील अधिकरण से स्थगन आदेश प्राप्त कर लेने के कारण इन्हें वहॉ से कार्यमुक्त नहीं किया जा सका, परिणामस्वरुप श्री भभूताराम का उक्त कार्यालय से माह नवम्बर, 2019 से वेतन आहरित नहीं हो सका।

विभागीय आदेश संख्या 797 दिनांक 13.02.2020 के द्वारा श्री भभूताराम की पदोन्नति स.ले.अ. ग्रेड–। के पद पर होने पर इनके द्वारा आदेशानुसार वर्तमान पद को कमोन्नत मानते हुए दिनांक 14.02.2020 को सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–। के पद पर कार्यग्रहण कर लिया गया था। पूर्व विभागीय सम संख्यक आदेश कमांक 1051 दिनांक 27.01.2020 के द्वारा श्री भभूताराम का माह नवम्बर एवं दिसम्बर, 2019 का वेतन कार्यालय कोषाधिकारी, जैसलमेर से आहरित करने की स्वीकृति जारी कर दी गई थी, लेकिन माह दिसम्बर, 2019 के बाद से श्री भभूताराम को वेतन का भुगतान अभी तक नहीं किया जा सका है।

अतः पूर्व समसंख्यक आदेश कमांक 1051 दिनांक 27.01.2020 की निरन्तरता में श्री भभूताराम, स.ले.अ. ग्रेड–। का माह जनवरी, 2020 से निरन्तर अगले आदेश तक इनका वेतन कार्यालय कोषाधिकारी, जैसलमेर से से.ले.अ. ग्रेड–।। के रिक्त पद के विरुद्ध आहरित करने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

फ.3(ग)(1)अलेसे–।/ बी55/ 885 दिनांक :– 18/5/20

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. कोषाधिकारी, जैसलमेर।
2. अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड–द्वितीय, जैसलमेर।
3. श्री भभूताराम, स.ले.अ. ग्रेड–।, कार्यालय अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड–द्वितीय, जैसलमेर
4. उपनिदेशक (एसीपी)को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(भवानी सिंह मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–)